विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राजस्व एवं सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करते हुए दो अध्याय समाविष्ट हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय I में कम मूल्यांकन, कम भुगतान/राजस्व की हानि, ब्याज एवं जुर्माना इत्यादि से संबंधित ₹ 1.36 करोड़ की एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) से संबंधित अध्याय II में एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं ₹ 229.90 करोड़ के छः पैराग्राफ शामिल हैं। इस प्रतिवेदन का कुल धन मूल्य ₹ 231.26 करोड़ है। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

अध्याय–I : राजस्व क्षेत्र

वर्ष 2014–15 के लिए सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ, वर्ष 2013–14 के ₹ 27,980.69 करोड़ की तुलना में ₹ 29,584.59 करोड़ थीं। इसमें से 92 *प्रतिशत*, कर राजस्व (₹ 26,603.90 करोड़) एवं गैर–कर राजस्व (₹ 632.55 करोड़) से उत्थित की गई थीं। शेष आठ *प्रतिशत* भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 2,348.14 करोड़) के रूप में प्राप्त की गई थीं। विगत वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 2.64 *प्रतिशत* वृद्धि एवं गैर–कर राजस्व में 4.03 *प्रतिशत* की कमी हुई।

(पैराग्राफ 1.1.1)

वर्ष 2014–15 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन तथा राजस्व विभाग की 74 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 506 मामलों में शामिल ₹ 159.57 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण तथा ₹ 1.45 करोड़ की अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा ₹ 4.68 लाख की राशि की वसूली की जो कि 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया।

(पैराग्राफ 1.1.10)

व्यापार एवं कर विभाग

मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत निर्धारण की प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

''मूल्य वर्धित कर (वैट) के अन्तर्गत निर्धारण की प्रणाली'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित को प्रकट करती है;

2009–10 एवं 2010–11 वर्षों के लिए प्रत्येक ₹ पाँच करोड़ एवं उससे अधिक के वार्षिक सकल टर्नओवर के एक सौ इक्यासी मामलों (₹ 5,546.61 करोड़ के संपूर्ण टर्नओवर) की संवीक्षा एवं निर्धारण नहीं किया गया और वे समय–बाधित हो चुके थे।

(पैराग्राफ 1.2.2.1)

माँग के मामलों की गैर–प्रभावी निगरानी के कारण सरकार को ₹ 512.05 करोड़ मूल्य की देय राशि वसूल नहीं हुई जिसमें उन व्यापारियों, जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका था से ₹ 214.98 करोड़ की प्राप्य राशि शामिल थी।

(पैराग्राफ 1.2.2.2 (i) तथा (iv))

सिस्टम में वैधीकरण नियंत्रण के अभाव में उन व्यापारियों को ₹ 14.49 करोड़ मूल्य के सांविधिक फार्मों को आधिक्य में जारी किया गया, जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका था तथा व्यापारियों को ₹ 56.96 करोड़ राशि के सांविधिक फार्म जारी किए गए यद्यपि उनके विरूद्ध ₹ 1.16 करोड़ की माँग बकाया थी।

(पैराग्राफ 1.2.3.1 (i तथा iii)

इनके पास उन व्यापारियों जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका है और मूल्य निर्धारण किया गया था, के धन–वापसी के मुद्दे को रोकने के लिए प्रणाली जाँच एकीकृत नहीं थी।

(पैराग्राफ 1.2.3.1 (vi))

अध्याय – II सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

31 मार्च 2015 को 17 सा.क्षे.उ. थे, जिनमें 15 सरकारी कम्पनियाँ एवं 2 सांविधिक निगम सम्मिलित थे। इन 17 सा.क्षे.उ. में 31 मार्च 2015 को ₹ 27,670.57 करोड़ का निवेश था। कुल निवेश में 34.76 *प्रतिशत* पूंजी और 65.24 *प्रतिशत* दीर्घ कालीन ऋण के रूप में सम्मिलित था। यह कुल निवेश वर्ष 2010–11 में ₹ 22,803.34 करोड़ से 21.34 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 27,670.57 करोड़ हो गया। वर्ष 2014–15 के दौरान सरकार ने राज्य सा.क्षे.उ. को ₹ 1,803.35 करोड़ अंशदान, ऋण और अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप मे दिया।

(पैराग्राफ 2.1.6 और 2.1.7)

बकाया लेखों की संख्या 11 (2010–11) से बढ़कर 22 (2014–15) हो गई। 30 सितम्बर, 2015 को एक सा.क्षे.उ. नामतः दिल्ली अ.ज./अ.ज.ज./अ.पि.व./अल्पसख्यंक एवं विकंलाग वित्तीय व विकास निगम लिमिटेड के सबसे ज्यादा 11 पूर्व वर्षो के लेखे संचित हो गये थे, जबकि अन्य सा.क्षे.उ. में एक से दो वर्षों के लेखे बकाया थे।

(पैराग्राफ 2.1.9)

17 सा.क्षे.उ. में से 10 सा.क्षे.उ. ने रूपये 988.70 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 6 सा. क्षे.उ. ने ₹ 1,599.73 करोड़ का नुकसान उठाया। एक कार्यशील सा.क्षे.उ. ने अपने लेखे ''न लाभ न हानि'' के आधार पर बनाए।

(पैराग्राफ 2.1.11)

अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015 के दौरान प्राप्त हुए 13 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पाँच लेखों को बिना शर्त, सात को सशर्त तथा एक को प्रतिकूलता (जिसका अर्थ है कि लेखे सत्य व निष्पक्ष स्थिति नही दर्शाते) प्रमाण पत्र प्रदान किया। चयनित आठ लेखो की अनुपूरक लेखापरीक्षा में नि.म.ले.प. ने 30 सितम्बर 2015 तक एक–एक लेखे को सशर्त और बिना शर्त प्रमाणपत्र दिया (बकाया छः लेखों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है)। वर्ष के दौरान दो लेखों में लेखा मापदण्डों के अनुपालन न होने के उदाहरण मिले।

(पैराग्राफ 2.1.12)

परिवहन विभाग

'दिल्ली परिवहन निगम की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए है:

बेड़े का उपयोग और वाहन उत्पादकता अखिल भारतीय औसत से कम थे। रुट योजना में कमियाँ थी। 2010–15 के दौरान परिवर्ती लागत की वसूली न कर पाने वाले रुटों की संख्या 15.24 *प्रतिशत* से 63.80 *प्रतिशत* तक बढ़ गई। 14.14 से 21.29 *प्रतिशत* तक निर्धारित कि.मी. छोड़े दिए गए। प्रति 10,000 कि.मी. पर वाहन में खराबी के मामलों की सख्या 1.77 से बढ़कर 5.35 हो गई।

(पैराग्राफ 2.2.3.1 से 2.2.3.7)

निगम निधियों के उपलब्ध होने के बावजूद नई बसों का क्रय नहीं कर पाया। इसने ₹ 204.57 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का अवसर भी गंवा दिया।

(पैराग्राफ 2.2.4.1 से 2.2.4.3)

बिना किसी अभिलिखित कारणों के रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने अन्य विभागों में स्टाफ की तैनाती के कारण ₹ 57.40 करोड़ के वेतन एवं भत्तों की प्रतिपूर्ति नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.2.4.5)

समग्र निधि के ₹ 40.65 करोड़, विनिर्देशों के विरूद्ध वेतन के भुगतान, फर्नीचर, सहायक वाहनों एवं कम्प्यूटरों की खरीद के लिए प्रयोग किये गए। प्रणाली में दोषों, अनुचित रखरखाव, विज्ञापन के ठेको की सुपुर्दगी मे अविवेकपूर्ण/विलंबित निर्णयों और निष्क्रियता के कारण निगम ने ₹ 79.84 करोड़ का राजस्व अर्जित करने का अवसर गंवा दिया।

(पैराग्राफ 2.2.5.2 और 2.2.5.3)

बिना लिखित समझौते करे अन्य विभागों को स्थान के हस्तांतरण के कारण ₹ 53.06 करोड़ की वसूली नहीं हुई। 2010–15 के दौरान स्कूल बसों के संचालन में निगम को ₹ 46.11 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.2.5.4)

पावर विभाग

इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा कर की स्व–निर्धारण गणना के समय मैट क्रेडिट का लाभ नहीं लेने के कारण ज्यादा आयकर जमा किया गया जिसके कारण ₹ 8.10 करोड़ की निधि का अवरोधन और फलस्वरूप ₹ 0.95 करोड़ ब्याज का भार हुआ।

(पैराग्राफ 2.3)

दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड ने ₹ 3.54 करोड़ के रूप में मिनीमम अलटरनेट टैक्स के देरी से भुगतान के कारण, ब्याज के रूप में ₹ 0.46 करोड़ मूल्य की अतिरिक्त देयता वहन की।

(पैराग्राफ 2.4)

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड

लाईसेंस शुल्क के भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 3.20 करोड़ के ब्याज के रूप में परिहार्य देयता उत्पन्न हुई।

(पैराग्राफ 2.5)

अग्रिम कर देयता के निर्धारण व उसके निपटान में असफलता के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 8.62 करोड़ का परिहार्य व्यय।

(पैराग्राफ 2.6)

शहरी विकास विभाग

शाहजहानाबाद का पुनर्विकास करने के अधिदेश को पूर्ण करने के लिए **शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम** ने अपनी स्थापना के सात वर्ष बाद भी कोई योजना नही बनाई। यह मात्र एक परियोजना को भी वैचारिक और व्यवस्थित करने में असफल रहा और शाहजहानाबाद को पुनर्जिवित करने का उद्देश्य आज भी आरभिंक अवस्था में है। आरम्भ से ही ₹ 4.36 करोड़ का व्यय मुख्यता स्थापना पर हुआ।

(पैराग्राफ 2.8)